

नियम 105 : प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण
अग्रिम विनिर्णय की प्रति को, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा उसके मूल की सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
